

संख्या 402/92/2006-एमसी (2008 का 18)

भारत सरकार/वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली दिनांक 3rd अप्रैल 2008

प्रेस विज्ञप्ति

भारत गणराज्य की सरकार ने दोहरे कराधान से बचने तथा आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए म्यांमार संघ की सरकार के साथ 2 अप्रैल, 2008 को राज्य शांति एवं विकास परिषद के उपाध्यक्ष एवं उप-वरिष्ठ जनरल महामहिम माउंग अये की भारत यात्रा के दौरान दोहरे कराधान से बचने तथा आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए दोहरे कराधान से बचने के समझौते (डीटीए) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष श्री पी.के. मिश्रा तथा म्यांमार सरकार की ओर से भारत गणराज्य में म्यांमार संघ के असाधारण एवं पूर्णाधिकारी राजदूत श्री की थीन ने हस्ताक्षर किए।

डीटीए में भारत के मामले में आयकर और अधिभार और म्यांमार के मामले में आयकर और लाभ कर शामिल होंगे। डीटीए में प्रावधान है कि यदि किसी उद्यम की गतिविधियाँ स्रोत राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान का गठन करती हैं तो व्यावसायिक लाभ स्रोत राज्य में कर योग्य होगा। स्थायी स्थापना के उदाहरणों में एक शाखा, कारखाना, प्रबंधन का स्थान, बिक्री केंद्र आदि शामिल हैं। यदि परियोजना उस राज्य में 270 दिनों या उससे अधिक समय तक जारी रहती है तो किसी निर्माण, संयोजन या स्थापना परियोजनाओं के लाभ पर स्रोत की स्थिति में कर लगाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमानों के संचालन से किसी उद्यम द्वारा प्राप्त लाभ उद्यम के निवास देश में कर योग्य होगा। लाभांश, ब्याज और रॉयल्टी आय पर निवास के देश और स्रोत के देश दोनों में कर लगाया जाएगा। हालांकि, स्रोत वाले देश में कर की अधिकतम दर लाभांश के मामले में 5 प्रतिशत और ब्याज और रॉयल्टी के मामले में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। शेयरों की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ स्रोत के देश में कर योग्य होंगे। इस समझौते में दोनों देशों के कर प्राधिकारियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं तथा इसमें दुरुपयोग-रोधी प्रावधान भी शामिल किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समझौते का लाभ दोनों देशों के वास्तविक निवासियों को मिले।

यह समझौता भारत और म्यांमार के निवासियों को कर स्थिरता प्रदान करेगा तथा आपसी आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाएगा तथा साथ ही भारत और म्यांमार के बीच निवेश, प्रौद्योगिकी और सेवाओं

के प्रवाह को भी बढ़ावा देगा।

XXX